PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Sunday 23rd February 2014, Page: 3
Width: 20.24 cms, Height: 12.73 cms, a4r, Ref: pmin.2014-02-23.53.10

एक और कवायद ▶ इन दवाओं की कीमतें अलग से तय करने पर गंभीरता से विचार कर रही सरकार

अनूठी दवाओं को इनोवेटिव प्राइस डोज

•बिजनेस भास्कर •नई दिल्ली

नई तकनीक के इस्तेमाल से बनने वाली दवाओं की कीमतों पर दवा कंपनियों को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने दवा उद्योग से स्लो रिलीज और फास्ट रिलीज सहित इनोवेटिव कैटेगरी में आने वाली दवाओं का आंकड़ा देने को कहा है। आंकड़ों का विश्लेषण कर सरकार इन दवाओं की कीमतें अलग से तय करने से होने वाले असर का आकलन करेगी।

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'बिजनेस भास्कर' को बताया कि दवा उद्योग से इनोवेटिव कैटेगरी में आने वाली दवाओं की बिक्री के वॉल्यूम और उत्पादों के बारे में डाटा देने को कहा गया है। इस डाटा के आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि अगर इस कैटेगरी की दवाओं की कीमतें अलग से तय की जाएं तो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल दूसरी दवाओं की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा।

अधिकारी के मुताबिक इनोवेटिव दवाओं की कीमतें नए सिरे से तय करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। वहीं, घरेलू दवा कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग संगठन इंडियन फार्मास्युटिकल एलाएंस (आईपीए) के सेक्रेटरी जनरल डी.जी.शाह का कहना है कि इनोवेटिव दवाओं के बारे में हमसे डाटा मांगा गया है।

न्यू थिंकिंग

इनोवेटिव दवाओं की कीमतों पर कंपनियों को मिल सकती है राहत

एनपीपीए ने उद्योग संगठनों से मांगा है इन दवाओं की बिक्री का आंकड़ा

इनोवेटिव दवाओं को बनाने में नई तकनीक का इस्तेमाल होता है और इसके लिए दवा कंपनियों को शोध एवं विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश करना होता है। ऐसे में इन दवाओं की कीमतें सामान्य दवाओं के साथ नहीं तय की जा सकती हैं। शाह के मुताबिक उदाहरण के लिए कोई दवा एक घंटे में दर्द मिटाती है, वहीं नई तकनीक से बनने वाली इसी तरह की दवा 15 मिनट में खून में घुल कर दर्द मिटा देती है तो जो दवा कम समय में मरीज को आराम पहुंचाती है उसको बनाने में नई तकनीक का इस्तेमाल होता है। ऐसे में दोनों दवाओं की कीमत समान नहीं हो सकती है।

दवा उद्योग का मानना है कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 2013 के तहत आवश्यक दवाओं कीमतें तय करने में 1 फीसदी से अधिक बाजार हिस्सेदारी रखने वाली सभी ब्रांडों की औसत कीमत को आधार बनाया गया है। इसमें सामान्य और इनोवेटिव दवाओं में कोई फर्क नहीं किया गया है। इनोवेटिव दवाएं बाजार में आती रहें, इसके लिए यह जरूरी है कि सरकार इन दवाओं की कीमतें अलग से तय करे। वहीं, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हमारे पास इनोवेटिव कैटेगरी के तहत आने वाली सभी दवाओं का डाटा नहीं है, इसलिए दवा उद्योग से इन दवाओं के बारे में आंकड़े मांगे गए हैं। अधिकारी के मुताबिक इनोवेटिव दवाएं भी एनएलईएम में शामिल हैं। ऐसे में ये दवाएं भी प्राइस कंट्रोल के दायरे में रहेंगी। हालांकि, सरकार को यह फैसला करना है कि इन दवाओं की कीमतें अलग से तय की जाएंगी या सामान्य दवाओं के साथ तय की जाएंगी।

दवा उद्योग का मत

इनोवेटिव दवाएं बाजार में आती रहें, इसके लिए यह जरूरी है कि सरकार इन दवाओं की कीमतें अलग से तय करे